267 2 एम. ओ. यू. 2013–14 के लिए अतिरिक्त सूचना।

लोक उद्यम विभाग (डी. पी. ई.) ने दिनांक 12 नवम्बर 2012 के का. ज्ञा. सं. 3(12)/2012- डीपीई (एमओयू) के द्वारा वर्ष 2013–14 के लिए सी. पी. एस. ई और सरकारी विभाग/मंत्रालय के बीच में समझौता ज्ञापन (एमओयू) के लिए दिशा–निर्देश जारी किए हैं तथा दिशा–निर्देशों के अलावा निम्नलिखित मामलों के बारे में सूचित करने का मुझे निदेश हुआ है।

क. सी.पी.एस.ई. के द्वारा समझौता ज्ञापन 2013–14 में लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित सूचना 18 जनवरी 2013 तक देनी होगी :–

1. पूरी की गई परियोजनाओं, समय और लागत बढ़ने से लम्बित परियोजनाओं, निर्धारित अवधि के भीतर प्राप्त किए गए लक्ष्यों की प्रतिशतता, जो परियोजनाएं वर्ष में पूरी नहीं की जा सकती हैं, उन जारी परियोजनाओं के लक्ष्यों आदि की सूची।
2. सी.पी.एस.ई. के वित्तीय निष्पादन के अलावा मात्रात्मक वास्तविक लक्ष्य महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वे सी.पी.एस.ई. की उत्पादकता और दक्षता को दर्शाते हैं। कार्य बल सी.पी.एस.ई. के समझौता ज्ञापन में वास्तविक लक्ष्यों को पर्याप्त महत्व देना चाहेगा। इसलिए पिछले वर्ष के वास्तविक उत्पाद/उपलब्धि के बारे में क्षेत्रवार ब्यौरे सी.पी.एस.ई. के द्वारा डी. पी. ई. / कार्य बल को प्रस्तुत करने होंगे।

ख. समझौता ज्ञापन 2013–14 में निम्नलिखित बातों को पाद–टिप्पण के रूप में शामिल करना होगाः–

1. नैगम शासन का अनुपालन न करने के बारे में नकारात्मक अंकन से दण्डित भी किया जाएगा तथा समझौता ज्ञापन के आंकडे को दिनांक 22 जून, 2011 के डी. पी. ई. के का. ज्ञा. सं. 18(8)/2005– जी.एम. के अनुसार निम्नलिखित तरीके से बढ़ाया जाएगा।

क्र. सं.	वार्षिक आंकडे	ग्रेडिंग	दण्ड अंक	'उत्कृष्ट' ग्रेड से आंकडों में अन्तर
01	85% और अधिक	उत्कृष्ट	0	0.00
02	75%–84%	बहुत अच्छा	0	0.00
03	60%–74%	अच्छा	0.5	0.02
04	50%–59%	सामान्य	0.5	0.02
05	50% से कम	घटिया	1.0	0.04

यदि कोई सीपीएसई कार्यालय ज्ञापन के साथ संलग्न प्रपत्र में स्व–मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है, तो उसके ग्रेडिंग (कोटि निर्धारण) को घटिया माना जाएगा और आँकडों को तदनुसार बढ़ाया जाएगा।

2. लोक उद्यम विभाग के द्वारा दिनांक 28 जून, 2011 के का. ज्ञा. सं. डीपीई /14/38/10-वित्त के द्वारा जारी किए गए दिशा–निर्देश के कार्यान्वयन के संबंध में सी. पी. एस. ई. के द्वारा एक प्रमाण पत्र देना होगा तथा कार्यरत उनके लेखा–परीक्षकों/चार्टर्ड एकाउन्टेंट से प्रमाण पत्र भी देना होगा। प्रस्तुत किए गए प्रमाण पत्र के आधार पर निर्धारित लोक उद्यम विभाग के दिशा–निर्देशों का पालन न करने पर समझौता ज्ञापन के मूल्यांकन के समय पर कार्यबल के विवेक पर 1 अंक तक दण्ड लगाया जाएगा (दूसरे शब्दों में एम.ओ.यू. रेटिंग को 0.04 बढ़ाया जा सकता है।)

ग. निम्नलिखित नई विशेषताओं को समझौता ज्ञापन 2013–14 में शामिल किया जाता है।

1. वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए औपचारिक जोखिम प्रबंध प्रशिक्षण पाठ्यक्रम मंत्रिमण्डल सचिव के द्वारा यथा निर्धारित समझौता ज्ञापन 2013–14 में मानव संसाधन प्रबंध के अधीन समझौता ज्ञापन मापदण्ड की भांति शुरू किया जाएगा।
2. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के प्रौद्योगिकी विकास कोष तथा राष्ट्रीय ऊर्जा बोर्ड में उनके आर. और डी. कार्यकलापों में वित्तीय व्यवस्था करने के विकल्प को भी समझौता ज्ञापन मापदण्ड के रूप में प्रोत्साहित भी किया जाएगा।
3. प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव द्वारा 3 जनवरी, 2012 को ली गई बैठक में सी. पी. एस. ई. द्वारा वचनबद्ध किए अनुसार सीएपीईएक्स लक्ष्यों को वर्ष 2012–13 के समझौता ज्ञापन में समझौता ज्ञापन मापदण्ड के अनुसार पहले ही शुरू कर दिया गया है तथा मापदण्ड के रूप में सीएपीईएक्स को सी. पी. एस. ई. के द्वारा अपने समझौता ज्ञापन 2013–14 के भाग के रूप में भी शामिल करना होगा। अन्य सी. पी. एस. ई. भी एक एम. ओ. यू. मापदण्ड के रूप में सीएपीईएक्स को लागू करना भी चाह सकता है।
4. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए नैगमिक सामाजिक सुरक्षा (सी. एस. आर) और संपोषणीयता (एस. डी.) के बारे में नए दिशा–निर्देश लोक उद्यम विभाग के द्वारा जारी किए गए हैं और सी. एस. आर. और एस. डी. के लिए मापदण्डों को समझौता ज्ञापन 2013–14 में तदनुसार पुनः तैयार करना होगा। समझौता बातचीत और निष्पादन संबंधी मूल्यांकन के लिए अपनायी गई पद्धति अनुबंध I और II में दी गई है।

घ. प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से निम्नलिखित सूचना अपेक्षित है :–

1. लोक उद्यम अपने प्रशासनिक मंत्रालयों विभागों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। इन उद्यमों के निष्पादन का सी. पी. एस. ई. को किए गए वचनबंधों तथा दी गई वास्तविक सहायता के संदर्भ में मूल्यांकन किया जाता है जिसकी मात्रा का निर्धारण करना होगा और सी. पी. एस. ई. के निष्पादन मूल्यांकन आँकड़ों के साथ रिपोर्ट मंत्रालयों/ विभागों के द्वारा लोक उद्यम विभाग के लिए प्रस्तुत करनी होगी। दिनांक 30 सितम्बर 2005 के का. ज्ञा. सं. 3(13)/–2006–डी. पी. ई. (एम. ओ. यू.) में उपलब्ध कराये अनुसार इसकी मंत्रिमण्डल सचिव की अध्यक्षता में एच. पी. सी. के द्वारा समीक्षा की जाएगी।

2. प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से यह भी अनुरोध है कि वे कार्यबल के उपयोग हेतु दिनांक 18.01.2013 तक एक संक्षित नोट प्रस्तुत करें_जिसमें समझौता ज्ञापन 2013–14 के लिए अपने मंत्रालयों के अधीन सी. पी. एस. यू. से उनकी प्राथमिकताओं/उम्मीदों का ब्यौरा दिया हो।

अनुबंध –**I**

सी. एस. आर. और संपोषणीयता का प्रपत्र

1 (i) संगठन के भीतर सी. एस. और संपोषणीयता की कार्य सूची को शामिल करने में कर्मचारियों और उच्च प्रबंधन के शामिल होने की स्थिति का निम्नलिखित के द्वारा निर्धारण किया जा सकता है :–

क. कर्मचारी को सुग्राही बनाने और स्थिर मानसिक स्थिति को बदलने/अनुकूल बनाने के लिए आयोजित सेमिनारों/कार्यशालाओं/प्रशिक्षण सत्रों की संख्या।

ख. ऐसी बैठकों/सेमिनारों पाठ्यक्रमों में उच्च प्रबंधन/कार्यकारियों की उपस्थिति।

ग. उनके स्तर/ग्रेडों को भी निर्दिष्ट करते हुए ऐसी पहलों के माध्यम से शामिल कर्मचारियों की कुल संख्या।

1 (ii) उत्पादों/सेवाओं/प्रक्रियाओं पर ऐसे शामिल होने का प्रभाव और कार्बन फुटप्रिंट में कमी।
कम्पनी के द्वारा ऐसे उत्पादों/सेवाओं/प्रक्रियाओं की सूची उपलब्ध करानी होगी जिनके द्वारा सी. एस. और संपोषणीयता की कार्य सूची को शामिल करने के परिणाम स्वरूप वर्ष के दौरान उत्पादन अथवा लागू (शरू) किया जाता है।

2. एक अच्छी नैगमिक सम्प्रेषण रणनीति को अपना करके मुख्य पणधारकों को नियोजित करने के लिए किए गए प्रयासों तथा प्राप्त हुई सफलता का निम्नलिखित के द्वारा निर्धारण किया जा सकता है :–

क. एक नैगमिक सम्प्रेषण रणनीति का प्रतिपादन।

ख. सम्प्रेषण रणनीति को कार्यान्वित करने में कार्यपालकों के शामिल होने का स्तर।

ग. मुख्य पणधारकों के साथ आयोजित बैठकों/विचार–विमर्शों की संख्या।

घ. सामाजिक, आर्थिक और वातावरण संबंधी संपोषणीयता में कम्पनी के निष्पादन के संबंध में मुख्य पणधारकों से फीडबैक चैनलों को सुनिश्चित करना।

3. संपोषणीयता की रिपोर्टिंग और प्रकटन प्रक्रियाओं और प्रथाओं का अपनाना।
इसको सी. एस. आर. और संपोषणीयता संबंधी वार्षिक रिपोर्टों के प्रकाशन तथा कम्पनी की वेबसाइट पर इस संबंध में बार–बार प्रदर्शित अद्यतन सूचना के आधार पर निर्धारण किया जा सकता है।

4. सी. एस. और सम्पोषणीयता वाली परियोजनाओं के कार्यान्वयन में सफलता की स्थिति जिनको वे वर्ष के दौरान शुरू करते हैं।
इसके अन्तर्गत सी. पी. एस. ई. के द्वारा निम्नलिखित सूचना उपलब्ध करानी होगी :–
क. परियोजना का नाम

ख. परियोजना आरम्भ करने की तारीख

ग. वर्ष के लिए बनाए गए वार्षिक लक्ष्य

घ. नियोजित लक्ष्यों के लिए बजटीय आवंटन

ड़. बेसलाइन सर्वेक्षण और मूल्यांकन के लिए एजेंसी का नाम

च. कार्यकलाप/परियोजना का कार्यान्वयन करने के लिए एजेंसी का नाम

छ. मानीटरिंग कार्यकलाप/परियोजना के लिए चुनी गई एजेंसी का नाम

ज. विनिर्दिष्ट किए जाने वाले किसी अथवा सभी इन कार्यकलापों में सी. पी. एस. ई. का शामिल होना।

झ. उस वर्ष के लिए नियोजित कार्यकलापों परियोजनाओं के पूरा होने की तारीख।

ञ. वर्ष के दौरान पूरी की गई परियोजना/कार्यकलाप का मूल्यांकन करने के लिए नियोजित एजेंसी का नाम।

ट. मूल्यांकन एजेंसी की रिपोर्ट

ठ. वर्ष के दौरान पूरे किए गए कार्यकलापों/परियोजनाओं के मामले में सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट, यदि कोई हो।

5. सी. एस. आर. और सम्पोषणीयता संबंधी कार्यकलापों पर (वार्षिक बजटीय आवंटन की तुलना में) किया गया व्यय।

इसमें सी. एस. आर. और संपोषणीयता संबंधी कार्यकलापों/परियोजनाओं के लिए कुल बजटीय आवंटन को उस वर्ष के लिए नियोजित परियोजनाओं/कार्यकलापों पर किए गए कुल व्यय के साथ दर्शाना होगा।

6. सी. एस. आर. कार्यकलापों की योजना बनाने, क्रियान्वयन मानीटरिंग की प्रक्रिया में दो–स्तरीय संगठनात्मक ढांचे की प्रभावकारिता।

इसको निम्नलिखित के द्वारा निर्धारित किया जा सकता है :–

क. बोर्ड स्तर की समिति में एक स्वतंत्र निदेशक की अनिवार्य सदस्यता वाले दो स्तरीय संगठन ढांचे का अस्तित्व।

ख. बोर्ड स्तर की समिति के द्वारा तथा नोडल अधिकारी की उध्यक्षता में अधिकारियों के समूह के द्वारा आयोजित बैठकों की बारम्बारता।

ग. सी. एस. आर. कार्यकलापों की योजना बनाने, क्रियान्वयन और मानीटरिंग करने में दो स्तरीय ढ़ांचे के द्वारा लिए गए निर्णयों की श्रेणी।

अनुबंध – **II**

सी. एस. आर. तथा संपोषणीयता के लिए अंकों का सुझाव के अनुसार अवंटन

क्र. सं.	मापदण्ड	महारत्न के लिए अंक	अन्य सी.पी. एस.ई. के लिए अंक
1(i)	संगठनके भीतर सी. एस. और संपोषणीयता की कार्य सूची को शामिल	1.00	1.00

	करने में कर्मचारियों और उच्च प्रबंधक के शामिल होने की स्थिति का निम्नलिखित के द्वारा निर्धारण किया जा सकता है।		
1(ii)	उत्पादों / सेवाओं / प्रक्रियाओं पर ऐसे शामिल होने का प्रभाव और कार्बन फुटप्रिंट में कमी।	2.00	2.00
2	एक अच्छी नैगमिक संप्रेषण रणनीति को अपना करके मुख्य पणधारकों को नियोजित करने के लिए किए गए प्रयासों तथा प्राप्त हुई सफलता का निम्नलिखित के द्वारा निर्धारण किया जा सकता है :–	0.50	1.00
3	संपोषणीयता की रिपोर्टिंग और प्रकटन प्रक्रियाओं और प्रथाओं का अपनाना।	0.50	1.00
4	सी. एस. और सम्पोषणीयता वाली परियोजनाओं के कार्यान्वयन में सफलता की स्थिति जिनकों वे वर्ष के दौरान शुरू करते हैं।	3.00	2.00
5	सी. एस. आर. और सम्पोषणीयता संबंधी काग्रकलापों पर (वार्षिक बजटीय आवंटन की तुलना में) किया गया व्यय।	0.50	0.50
6	सी. एस. आर. कार्यकलापों की योजना बनाने, क्रियान्वयन मानीटरिंग की प्रक्रिया में दो–स्तरीय संगठपनात्मक ढांचे की प्रभावकारिता।	0.50	0.50

(नोटः नैगामिक सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) तथा सम्पोषणीय विकास (एसडी) के अनिवार्य मापदण्ड के लिए 10 अंक थे। अब सीएसआर और एसडी दोनों के लिए इसको संशोंधित करके 8 अंक कर दिया गया है)।

(डीपीई का. ज्ञा. सं0 3(12)/2012– डीपीई (एमओयू), दिनांक 10 जनवरी, 2013)

*****